PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1476/2

P.T. SURVEY OF SCHEME RUKAMANI VIHAR AT KALWAR ROAD JAIPUR

J.D.A.

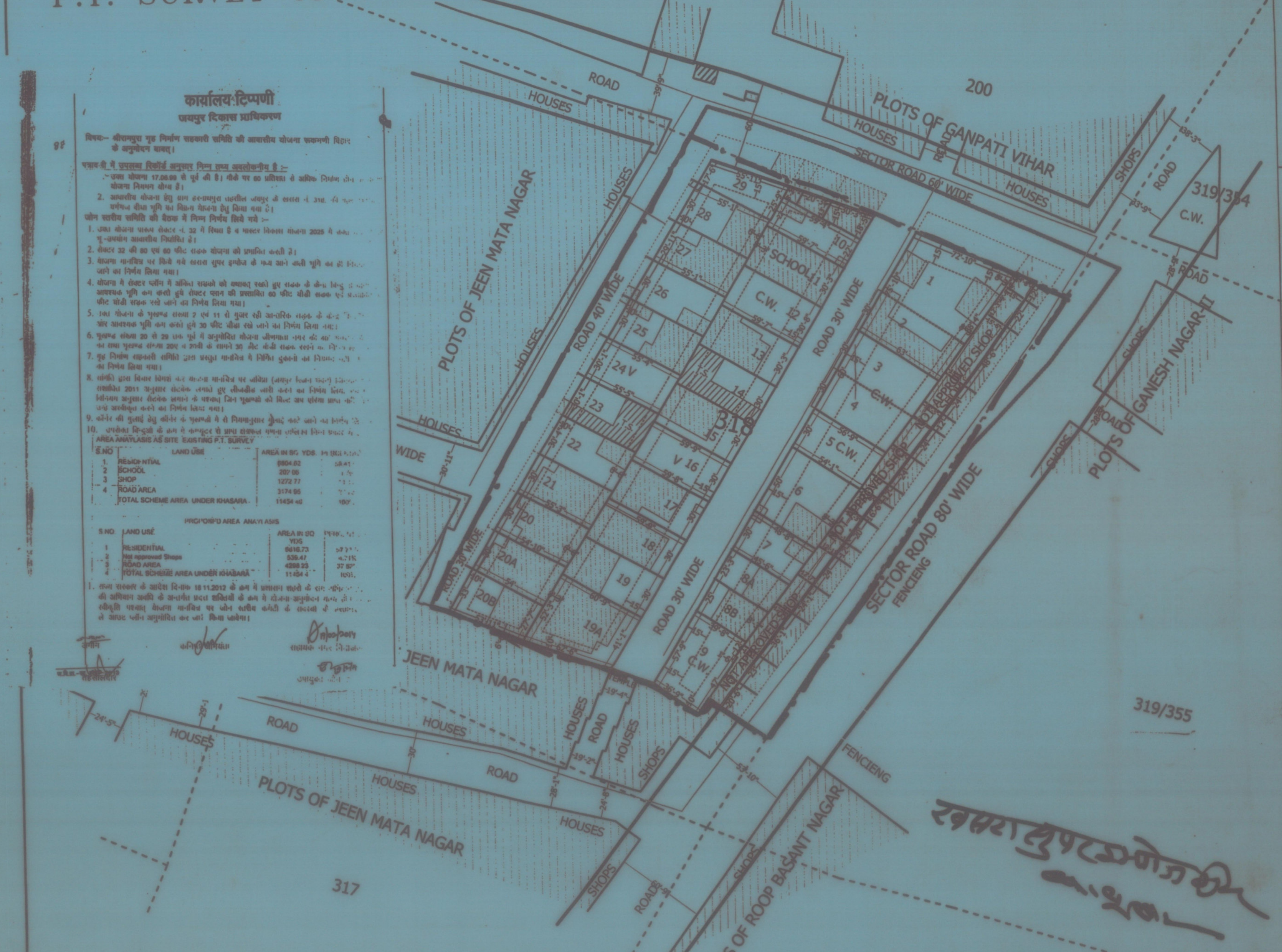
N
ROAD
HOUSES
200
PLOTS OF GANPATI VIHAR
HOUSES
SECTOR ROAD 60' WIDE
SHOPS
ROAD
319/354
C.W.
PLOTS OF JEEN MATA NAGAR
ROAD 40' WIDE
ROAD 30' WIDE
SCHOOL
C.W.
318
NOT APPROVED SHOP
SECTOR ROAD 80' WIDE
FENCIENG
PLOTS OF GANESH NAGAR-II
WIDE
JEEN MATA NAGAR
319/355
PLOTS OF JEEN MATA NAGAR
317
PLOTS OF ROOP BASANT NAGAR
319/358
29
28
27
26
25
24 V
23
22
21
20
20A
20B
19
19A
18
17
V 16
15
14
13
12
11
10
1
2
3
4
5 C.W.
6
7
8A
8B
9 C.W.

खसरा सुपरइम्पोज की [illegible]

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

९६ विषयः– श्रीरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना रूकमणी विहार के अनुमोदन बाबत्।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार निम्न तथ्य अवलोकनीय है :–

1. उक्त योजना 17.06.99 से पूर्व की है। मौके पर 60 प्रतिशत से अधिक निर्माण [illegible] योजना नियमन योग्य है।
2. आवासीय योजना हेतु ग्राम हरनाथपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 318 [illegible] वर्गगज बीघा भूमि का विक्रय योजना हेतु किया गया है।

जोन स्तरीय समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिये गये :–

1. उक्त योजना प्रारूप सेक्टर नं. 32 में स्थित है व मास्टर विकास योजना 2025 में [illegible] भू-उपयोग आवासीय निर्धारित है।
2. सेक्टर 32 की 80 एवं 60 फीट सड़क योजना को प्रभावित करती है।
3. योजना मानचित्र पर किये गये खसरा सुपर इम्पोज के मध्य आने वाली भूमि का ही [illegible] जाने का निर्णय लिया गया।
4. योजना में सेक्टर प्लॉन में अंकित सड़कों को यथावत् रखते हुए सड़क के केन्द्र बिन्दु [illegible] आवश्यक भूमि कम करते हुये सेक्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क एवं [illegible] फीट चौड़ी सड़क रखे जाने का निर्णय लिया गया।
5. उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 2 एवं 11 से गुजर रही आन्तरिक सड़क के केन्द्र [illegible] और आवश्यक भूमि कम करते हुये 30 फीट चौड़ा रखे जाने का निर्णय लिया गया।
6. भूखण्ड संख्या 20 से 29 तक पूर्व में अनुमोदित योजना जीणमाता नगर की 40' [illegible] का तथा भूखण्ड संख्या 20ए व 20बी के सामने 30 फीट चौड़ी सड़क रखने का निर्णय [illegible]
7. गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में निर्मित दुकानों का नियमन नहीं [illegible] का निर्णय लिया गया।
8. समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना मानचित्र पर जाविप्रा (जयपुर विकास प्राधिकरण) [illegible] संशोधित 2011 अनुसार सेटबेक लगाते हुए लीजडीड जारी करने का निर्णय लिया [illegible] नियम अनुसार सेटबेक लगाने के पश्चात् जिन भूखण्डों को बिल्ट अप एरिया प्राप्त नहीं [illegible] उन्हें अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
9. कॉर्नर की कुलाई हेतु कॉर्नर के भूखण्डों में से नियमानुसार कुलाई काटे जाने का निर्णय [illegible]
10. उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में कम्प्यूटर से प्राप्त क्षेत्रफल गणना तालिका निम्न प्रकार है।

AREA ANAYLASIS AS SITE EXISTING P.T. SURVEY

S.NO	LAND USE	AREA IN SQ. YDS.	IN [illegible]
1.	RESIDENTIAL	6804.62	59.41
2	SCHOOL	207.06	[illegible]
3	SHOP	1272.77	[illegible]
4	ROAD AREA	3174.96	[illegible]
	TOTAL SCHEME AREA UNDER KHASARA	11454.40	100

PROPOSED AREA ANAYLASIS

S.NO	LAND USE	AREA IN SQ YDS	[illegible]
1	RESIDENTIAL	6616.73	57.7[illegible]
2	Not approved Shops	539.47	4.71%
3	ROAD AREA	4298.23	37.52%
4	TOTAL SCHEME AREA UNDER KHASARA	11454.4	100%

1. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.11.2012 के क्रम में प्रशासन शहरों के संग [illegible] की अभियान अवधि के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में योजना अनुमोदन [illegible] स्वीकृति पश्चात् योजना मानचित्र पर जोन स्तरीय कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर [illegible] ले आउट प्लॉन अनुमोदित कर जारी किया जावेगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियंता

11/02/2014
सहायक नगर नियोजक

तहसीलदार

उपायुक्त जोन 7

मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग आवासीय
भूखण्डों की निर्माण स्थिति

1.	पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –	B–	44
2.	चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –	C.W.–	02
3.	खाली भूखण्ड –	V –	05
	कुल भूखण्ड –	TOTAL –	51

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग विवरण

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	आवासीय	6804.62 SQ.YDS	59.41%
2.	सड़क	3174.95 SQ.YDS	27.72%
3.	SHOP	1272.77 SQ.YDS	11.11%
4.	SCHOOL	202.06 SQ.YDS	01.76%
	कुल	11454.4 SQ.YDS	100.00%

AREA ANALYSIS AS PER PROPOSED:–

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	आवासीय	6616.73 SQ.YDS	57.77%
2.	ROAD	4298.23 SQ.YDS	37.52%
3.	SHOPS NOT APPROVED	539.47 SQ.YDS	04.71%
4.	कुल	11454.43 SQ.YDS	100.00%

योजना की मौके जाँच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना 2025 की सड़कें भू-उपयोग [illegible] से संबंधित पूर्ण जाँच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

[illegible] का नाम एवं हस्ताक्षर

योजना की भूमि की [illegible] अधिनियम की धारा [illegible] की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का [illegible] मेरे द्वारा किया गया। योजना की भूमि [illegible] अधिकारी द्वारा निर्णय आदेश क्रमांक____ दिनांक____ के तहत पारित किया जा चुका है।
[illegible] पटवारी/अधिकारी

[illegible] के तहत दिनांक____ दिनांक____ की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :–	SHRI RAMPURA G.N.S.S.
NAME OF SCHEME :–	RUKAMANI VIHAR
ZONE NO.–7	SECTOR NO.–32
SCALE 1"=60'	DRG. NO.

A.T.P. (ZONE)	D.T.P.(ZONE)	D.C.(ZONE)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

योजना की सीमा राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर सही पायी गयी एवं मेरे द्वारा मौके का सत्यापन किया गया।

मानचित्र की मौका अनुसार जाँच मेरे द्वारा की गई है।

योजना की तकनीकी जाँच कर ली गई है!

योजना की भूमि के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर नियमन की कार्यवाही की गयी है।

अमीन
जोनः– 7

तहसीलदार
जोनः– 7

जे.ई.एन
जोनः– 7

सहायक नियोजक
सहायक नगर नियोजक
जोनः– 7
19/02/14

19/2/14
उपायुक्त
जोनः– 7